



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230954  
CG-DL-E-03112021-230954

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]  
No. 633]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

सं. 52/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 781(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 475 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "13 रू. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "8 रू. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 4 नवंबर, 2021, से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/72/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 18/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 475(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 277(अ), तारीख 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2021

**No. 52/2021-Customs**

**G.S.R. 781(E).**—In exercise of the powers conferred by section 111 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2019-Customs, dated the 6<sup>th</sup> July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 475 (E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table-

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 13 per litre” shall be substituted;
- (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 8 per litre” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 4<sup>th</sup> November, 2021.

[F. No. 354/72/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No. 18/2019-Customs, dated the 6<sup>th</sup> July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 475(E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2019 and last amended *vide* notification No. 21/2020-Customs, dated the 5<sup>th</sup> May, 2020, *vide* number G.S.R. 277(E), dated 5<sup>th</sup> May, 2020.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

**सं. 9/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 782(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 487(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “13 रू. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “8 रू. प्रति लीटर” प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 4 नवंबर, 2021, से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 354/72/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 487(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 6/2020-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 279(अ), तारीख 5 मई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

#### No. 9/2021-Central Excise

**G.S.R. 782(E).**—In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6<sup>th</sup> July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 13 per litre” shall be substituted;
  - (ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 8 per litre” shall be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 4<sup>th</sup> November, 2021.

[F. No. 354/72/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No. 04/2019-Central Excise, dated the 6<sup>th</sup> July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 487(E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2019 and last amended *vide* notification No. 6/2020-Central Excise, dated the 5<sup>th</sup> May, 2020, *vide* number G.S.R. 279(E), dated 5<sup>th</sup> May, 2020.